श्रीगंगानगर
52/2017
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2017 अनवानी श्री प्रेमरतन, निवासी म0न0 38, नागपाल कॉलोनी, गली नम्बर 1, सिटी मॉल के पीछे, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26–04–2017 के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 2एच का उल्लख करते हुए सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जबकि चाही गई सूचना स्पष्ट व पारदर्शी है जो अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रेमरतन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण इलाको में कैरोसीन व गेहूं का कुल कितना आवंटन हुआ व किस किस डिपो पर कितना आवंटन किया गया।
2. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक सभी श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण डिपो होल्डर की पॉस मशीन से बिना आधार कार्ड के कितना कैरोसीन व गेहूं वितरण किया गया।
3. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण में पॉश मशीन के अलावा रजिस्टर में किस किस डिपो पर कितना कैरोसीन व गेहूं व चीनी वितरण किया गया।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3580 दिनांक 21.06.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2च व 7(9) के तहत देय नही होने से उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3046 दिनांक 17.05.17 के द्वारा समय अवधि में आवेदक को सूचित कर दिया गया था। अतः अपील निरस्त की जावे।

अपीलाथी द्वारा चाही गई उक्त 3 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 3046 दिनांक 17.05.17 के द्वारा उसे निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
52/2017

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए। चूंकि खोजकर खोजे गए तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प0 22 (16) प्रसू./सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना कि परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 17.05.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर